सं0–7/सामुदायिक–09–01/2017– 157(7)ब

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी संबंधित सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार) ।

पटना, दिनांक 16-3-2018

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें– एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0001–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–विपत्र कोड–20-2210031100001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में अन्य मदों में कुल ₹1,04,00,,000/–(एक करोड़ चार लाख रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–17(7)ब दिनांक–15.05.17, 36(7)ब दिनांक–20.07.17, 57(7)ब दिनांक–07.09.17, 77(7)ब दिनांक–25.09.17 105(7)ब दिनांक–05.12.17 एवं 147(7)ब दिनांक–05.03.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–2018 में अन्य मदों में कुल ₹1,04,00,,000/–(एक करोड़ चार लाख रूपये) मात्र अतिरिक्त आवंटन दी जाती है । (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें– एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0001–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–विपत्र कोड– 20–2210031100001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से तथा पुनर्विनियोग (स्वीकृत्यादेश संख्या–218(7) दिनांक–14.03.18) से प्राप्त राशि से किया जायेगा ।

4. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संबंधित रेफरल अस्पताल/प्रा0स्वा0केन्द्र में कार्यरत बल के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 के वेतन भत्ता तथा अन्य मद के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

5. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

6. आहार/पथ्य, मशीने एवं उपस्कर, सामग्री एवं पूर्त्तियाँ, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

D:\Bug 2017 18 Allot\Kamal\Ref All 6.doc

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

11. संविदा सेवाएँ (28–02) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे ।

12. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

13. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

14. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

15. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 16/3/18

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 157(7)9 पटना, दिनांक : 16-3-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी /सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ सभी संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी–7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 16/3/18

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में बिहार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपशीर्ष का अन्य मदों में आवंटन
(विपत्र कोड–20–221003110001)

क्रम	जिला का नाम	संविदा सेवाएँ (28–02)	अनुग्रह अनुदान (37–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	बेगुसराय	0	400000	400000	2767/27.11.17
2	कटिहार	2000000	0	2000000	346/31.1.18
3	अररिया	2500000	0	2500000	701/27.2.18
4	बाँका	3000000	0	3000000	406/23.2.18
5	मोतिहारी	2500000	0	2500000	561/13.3.18
	कुल	**10000000**	**400000**	**10400000**	

(एक करोड़ चार लाख रू0) मात्र

16/3/18

सरकार के विशेष सचिव

<u>उपबंध की स्थिति</u>

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध/ पुनर्विनियोग सहित	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001–01–01)	245000000	245000000	0	245000000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0001–01–03)	304500000	304500000	0	304500000	0
3	मकान किराया भत्ता (0001–01–04)	35000000	35000000	0	35000000	0
4	चिकित्सा भत्ता (0001–01–06)	2827000	2827000	0	2827000	0
5	अन्य भत्ता (0001–01–07)	11673000	11673000	0	11673000	0
6	त्यौहार अग्रिम (0001–01–08)	1000000	0	0	0	1000000
	योग 20-2210.03.110.0001.01 वेतन	**600000000**	**599000000**	**0**	**599000000**	**1000000**
6	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001–06–01)	1000000	415595	0	415595	584405
7	यात्रा व्यय (0001–11–01)	200000	200000	0	200000	0
8	कार्यालय व्यय (0001–13–01)	750000	661000	0	661000	89000
9	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (0001–13–02)	100000	100000	0	100000	0
10	दूरभाष (0001–13–03)	3000000	1475000	0	1475000	1525000
11	विद्युत प्रभार (0001–13–04)	12000000	12000000	0	12000000	0
12	विधि प्रभार (0001–13–05)	500000	481000	0	481000	19000
13	वर्दी/ पोषाक (0001–13–06)	593000	465416	0	465416	127584
14	प्रशिक्षण व्यय (0001–20–03)	3100000	0	0	0	3100000
15	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001–21–01)	15000000	15000000	0	15000000	0
16	दवा भंडार (0001–21–02)	143000000	143000000	0	143000000	0
17	आहार/ पथ्य (0001–21–03)	20000000	20000000	0	20000000	0
18	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001–27–02)	1000	0	0	0	1000
19	संविदा सेवाऐं (0001–28–02)	200000000	190000000	10000000	200000000	0
20	अनुग्रह अनुदान (0001–37–01)	401000	0	400000	400000	1000
20	मशीनें एवं उपस्कर (0001–52–01)	9300000	9300000	0	9300000	0
	कुल योगः–	**1008945000**	**992098011**	**10400000**	**1002498011**	**6446989**

157(7)/9
16-3-18

16/3/

सरकार के विशेष सचिव